

I. D. No. A.S.O.
Date 10/2/10

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-III)

No. F.3(1)DOP/A-III/2004

JAIPUR, Dated: 08-02-2010

NOTIFICATION

*Sub
A.C.I.T
P.D.P.S. AC-C
9-2-10*
In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 15 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1958, the State Government hereby specially empowers all the District Collectors to impose minor penalties (upto stoppage of three grade increments (without cumulative effect) in respect of Government servants working under National Rural Employment Guaranty Scheme.

*M. have
press
release
issued
EE (4)*
This Notification shall be effective till The Scheme is in operation.

By order of the Governor,

EO

(Kailash Chand Verma)
Deputy Secretary to Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Hon'ble Minister, Rural Development & Panchayat Raj Department, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. Principal Secy. to Govt., Rural Development & Panchayat Raj Department
3. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
4. All Collectors, Rajasthan.
5. Secretary, National Rural Employment Guaranty Scheme
6. Programmer, Computer Cell, DOP
7. Guard File

[Signature]
Deputy Secretary to Government

I. D. No. 0151 / CESS/00
Date: 10/2/10

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

संख्या: एफ.3(1)डीओपी / ए-गा / 2004

जयपुर, दिनांक: 08.02.2010

अधिसूचना

In reply to P.D. 165 M.L.
A.C. II
PS
9-2-10
P.I. Govt
Press Release
Ans
EE (v)

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम-15 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में लघु शास्त्रियां (तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक) (संचयी प्रभाव के बिना) अधिरोपित करने के लिए, समस्त जिला कलक्टरों को इसके द्वारा विशेष रूप से सशक्त करती हैं।

यह अधिसूचना इस स्कीम के प्रवर्तन में रहने तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
60

(कैलाश चन्द वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान
- 4 समस्त जिला कलक्टर राजस्थान
- 5 सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम
- 6 प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग
- 7 रक्षित पत्रावली।

[Signature]

शासन उप सचिव